

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला नागौर(राज0)

| | | |
|---|--|---|
| वादी नेमाराम पुत्र लादूराम जाट सा. मंगलपुरा तहसील कुचामनसिटी | ब ना म | प्रतिवादी राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी |
| राजस्व वाद = वाद रेकर्ड दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 88 R.T.Act1955 एवं 136 R.L.Act1956 शुद्धि बाबत | | |
| वाद-पत्र नम्बर 202/2022 | GCMS No. 2022/ 398 | |
| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिलियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए |
| 20/11/2022 | <p>वादी/प्रार्थी नेमाराम पुत्र लादूराम जाट सा. मंगलपुरा तहसील कुचामनसिटी द्वारा "प्रशासन गांवो के संग फोलोअप अभियान 2022" के तहत प्रस्तुत किया। जिसकी जांच रिपोर्ट तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा इस न्यायालय को प्रेषित की। प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर चालू जमाबन्दी नकल सम्वत 2076-2079 ग्राम करकेड़ी पटवार मण्डल परवेड़ी तहसील कुचामनसिटी के खाता नम्बर 80 प्रस्तुत कर कथन किया है। वादी/प्रार्थी का नाम की राजस्व रेकार्ड में प्रविष्टि निमला पुत्र लादूराम हिस्सा पूर्ण जाति जाट सा. मंगलपुरा खातेदार दर्ज है, जो अशुद्ध है।</p> <p>प्रार्थी का शुद्ध नाम नेमाराम पुत्र लादूराम जाट सा. मंगलपुरा तहसील कुचामनसिटी है तथा इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में शुद्ध प्रविष्टि दर्ज करने का निवेदन किया है। जिसके लिए बतौर साक्ष्य स्वरूप वादी द्वारा आधार नम्बर 713830463343 मतदाता पहचान पत्र RJ/03/196/552311, जन आधार कार्ड 4818052845 की छाया प्रति प्रस्तुत की है।</p> <p>इस संबंध में हल्का पटवारी परेवड़ी भू.अ.नि जिलिया एवं तहसीलदार कुचामनसिटी से रिपोर्ट तलब की गई, रिपोर्ट में इन्होंने वादी का उपरोक्तानुसार प्रविष्टि शुद्ध किये जाने की अनुशंसा की है।</p> <p>इस संबंध में हल्का पटवारी परेवड़ी भू.अ.नि. जिलिया एवं तहसीलदार कुचामनसिटी से रिपोर्ट तलब की गई, रिपोर्ट में इन्होंने वादी का उपरोक्तानुसार नाम एवं प्रविष्टि शुद्ध किये जाने की अनुशंसा की है। उपलब्ध दस्तावेजात इत्यादि से वादी का नाम शुद्ध किये जाने योग्य है जिसकी पुष्टि उपलब्ध उपरोक्त दस्तावेजात पटवारी हल्का, नि.भू.अ. तहसीलदार कुचामनसिटी की रिपोर्ट से साबित है।</p> <p>अतः वादी का वाद-पत्र स्वीकार किया जाकर उपरोक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में शुद्ध प्रविष्टि किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।</p> | |

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

